

प्रेस नोट दिनांक-13.10.2020

(1). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट के निर्देशन में मादक पदार्थों की तस्करी एवं बिक्री की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में श्री संजय उपाध्याय प्रभारी निरीक्षक भरतकूप के मार्गदर्शन में उ0नि0 श्री दयालदास तथा उनकी टीम द्वारा ग्राम भैसोधा से अभियुक्त कामता पुत्र रामकृपाल निवासी बल्दू का पुरवा को 15 किलो 800 ग्राम हरा गांजा के साथ तथा अभियुक्त प्रेमचन्द्र उर्फ बेटू पुत्र श्यामलाल निवासी बल्दू का पुरवा भैसोधा थाना भरतकूप जनपद चित्रकूट को 15 किलो 600 ग्राम हरे गांजे के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तों के विरुद्ध धारा 08/20 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत किया गया।

बरामदगी:-

31 किलो 400 ग्राम हरा गांजा

गिरफ्तारी/बरामदगी करने वाली टीम:-

1. उ0नि0 श्री दयालदास थाना भरतकूप
2. उ0नि0 श्री गणेश गुप्ता
3. आरक्षी संतोष कुमार
4. आरक्षी आशीष सिंह
5. आरक्षी जमुना प्रसाद गुप्ता

(2). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट के निर्देशन में अवैध शराब निर्माण एवं बिक्री की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे के क्रम में चित्रकूट पुलिस ने 02 अभियुक्तों के कब्जे से 20 लीटर कच्ची शराब के साथ गिरफ्तार किया गया।

(क). उ0नि0 श्री संदीप पटेल थाना पहाड़ी तथा उनके हमराही द्वारा अभियुक्त विमलेश कुमार राजपूत पुत्र राजाराम निवासी औदहा थाना पहाड़ी को 10 लीटर कच्ची शराब के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध थाना पहाड़ी में धारा 60 आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत मुकदमा पंजीकृत किया गया।

बरामदगी:-

10 लीटर कच्ची शराब

गिरफ्तारी करने वाली टीम:-

1. उ0नि0 श्री संदीप पटेल थाना पहाड़ी
2. उ0नि0 श्री प्रवीण कुमार सिंह

(ख). उ0नि0 श्री दीपक कुमार थाना राजापुर तथा उनके हमराही द्वारा अभियुक्त बृजेश द्विवेदी उर्फ सोनू पुत्र हरीशचन्द्र निवासी रुपौली को 10 लीटर कच्ची शराब के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध थाना राजापुर में धारा 60 आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत मुकदमा पंजीकृत किया गया।

बरामदगी:-

10 लीटर कच्ची शराब

गिरफ्तारी करने वाली टीम:-

1. उ0नि0 श्री दीपक कुमार थाना राजापुर
2. मुख्य आरक्षी महेन्द्र सिंह पाल

(3). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट के निर्देशन में अपराध पर अंकुश लगाने हेतु अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में श्री के.के. मिश्रा प्रभारी निरीक्षक मानिकपुर के मार्गदर्शन में उ0नि0 श्री अवधेश कुमार

मिश्रा तथा उनकी टीम द्वारा अभियुक्त 1. ताराचन्द्र पुत्र मोहनलाल निवासी सुभाष नगर 2. शारदा खटीक पुत्र सुभाष 3. आनन्दी उर्फ गंगा पुत्र भैरव 4. अंकित पुत्र गुड्डू 5. प्रिन्सू पुत्र राजेन्द्र निवासी गण आर्यनगर थाना मानिकपुर को ताश के पत्तों में हारजीत की बाजी लगाकर जुआ खेलते हुये गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तों के कब्जे से मालफड़ 1560/- रुपये, 52 अदद ताश के पत्ते व 680/- रुपये जामातलाशी बरामद हुये। अभियुक्तों के विरुद्ध थाना मानिकपुर में धारा 13 जुआ अधिनियम के अन्तर्गत मुकदमा पंजीकृत किया गया।

बरामदगी:-

मालफड़ 1560/- रुपये, व 680/- रुपये जामातलाशी (कुल 2240/- रुपये)

52 अदद ताश के पत्ते

गिरफ्तारी करने वाली टीम:-

1. उ0नि0 श्री अवधेश मिश्रा थाना मानिकपुर
2. उ0नि0 श्री सुरेश यादव
3. मुख्य आरक्षी महेन्द्र सिंह
4. आरक्षी विकास यादव
5. आरक्षी संजय
6. आरक्षी पंकज परिहार

(4). जनपद चित्रकूट पीआरवी 2048 थाना राजापुर अंतर्गत दिनांक 12/10/2020 को समय 19.39 बजे इवेंट संख्या 9790 द्वारा घटनास्थल सुरसेन चौराहा शिवदास का घर थाना राजापुर से कॉलर विपुल द्वारा सूचना दी गयी कि एक औरत जहर खा ली है हालत गंभीर है एम्बुलेंस की सहायता चाहिए। इस सूचना पर पीआरवी तत्काल अल्प समय में घटनास्थल पर पहुँची घटनास्थल पर पहुंच कर पीआरवी कर्मियों को घर वालो ने बताया कि शांति देवी उम्र 22 वर्ष पत्नी बुद्ध राज का अपने पति से किसी बात को लेकर विवाद हो गया था जिससे शांति देवी ने घर में रखी चूहे मारने की दवा खा ली थी जिससे महिला की तबियत खराब होती जा रही थी इस पर पीआरवी कर्मियों द्वारा तत्काल पीड़िता को पीआरवी वाहन द्वारा लाकर सीएचसी अस्पताल राजापुर में भर्ती कराया गया। जिससे महिला का समय से उपचार हो सका। पीआरवी द्वारा बताया गया कि अब पीड़िता की हालत सामान्य है। महिला के घर वाले भी साथ में है।

पीआरवी स्टाफ

कमांडर – मुख्य आरक्षी कल्लूराम

पायलट - आरक्षी राजेन्द्र कुमार